

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

२१/०१/२५

पत्रावली काफ़े आउत्रा प्रस्तुत हुई।
 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दावा केलगए
 आरा ४६ RT-Act १९५५ प्रष काबत
 प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कुंघडी
 के खसरा नं. ४५, ४५/१, ४५/५ ३ मि
 लितेनु प्रधारी पुत्र गौरीचन्द प्रधारी
 के नाम दर्ज है। उक्त आरानी पर
 सात पेड खजेडे के आरानी द्वारा काटे
 गए हैं। अतः प्रानी तहसीलदार लाडपुरा
 द्वारा आरा ४६ RT-Act का उल्लंघन
 किए जान के कारण आरानी के विरुद्ध
 कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।
 प्रकल्प दर्ज कर आरानी का तलब किया
 गया।
 आरानी द्वारा प्रीउरर प्रस्तुत भए
 निवेदन किया गया है कि प्रीवाडी
 द्वारा काटे पेड नहीं काटे गया है।



५

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

जन्म
अहका.
हुकम को
में जारी है

सफ़्ट के पेड संयुक्त रखावकारी की
ग्रामि खसरा नं. 84 की बाउण्ड्री पर
लगे हुए थे, जिन्हें राज्यत्वाव राज्य
विद्युत निगम द्वारा 11KV की लाइन
डालने हेतु काटा गया है। प्रतीवादी
द्वारा यह भी विवेक किया गया है कि
रखावकारी की ग्रामि एवं सफ़्टों के सड़ने
का हटाने हेतु अनुसूची क्रम की
आवश्यकता नहीं होती।

इसमें प्रजावली व संलग्न दस्तावेजों का
आयोगान्त अध्ययन किया।

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा
प्रस्तुत प्रजावली शामिल प्रजावली है
उक्त प्रजावली अनुसार खसरा नं. 84 व
84/1, प्रतीवादी लिटनू मण्डारी के नाम
उत्प रिपोर्ट नहीं है, जबकि प्रस्तुत पत्र
में खसरा नं. 84 व 84/1 का बंटाव
लिटनू मण्डारी को इनामिया गया है।



अहकाम
हुकम की ख
में जारी हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो किस
हुकम की तामील
में जारी हुए

टेपवटक्या प्रार्थी तदमीवडाटे लाडपुय
इमा प्रस्तुत वाद अतूर्ण व अस्पष्ट
तथ्यों के आधार पर, बिना उचित
दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया है, जो
रगगील किने जान प्रोग्य है।

अतः प्रार्थी तदमीवडाटे लाडपुय

इमा प्रस्तुत डावा अन्तर्गत भाग-86
राजस्थान क्राइमिनी अधिनियम 1955
अधीनार कर रगगील किना जाना है।

पत्रावली के मव शुक्रार दीव
डागीव दफतर है।



27/11/25
असुरअ अधिकारी
कीटा